

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
(राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना)

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, उद्योग भवन, सी-स्कीम, जयपुर फोन-2227011, 5188112 फैक्स नं. : 2227723)

क्रमांक प.1(6) ग्रा.वि./आरआरएलपी/2012

दिनांक 13.5.13

जिला परियोजना प्रबंधक,

समस्त ।

विषय :- वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 331300002/एफडी/ई-5 /2013 दिनांक 23.01.2013 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर आपको माह मई 2013 से As and When required basis के अनुसार एक माह में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 दिवस हेतु वाहन इंडिका किराये पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।



(पी.सी.किशन) I.A.S.
स्टेट मिशन डायरेक्टर,

आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, जयपुर।
3. निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, (आरजीएवीपी) तृतीय तल, आरएफसी-ब्लॉक भवन, सी-स्कीम, जयपुर।
4. निजी सचिव, परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह), ग्रामीण विकास, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
6. महाप्रबंधक समस्त(एसपीएमयू), उद्योग भवन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



(पी.सी.किशन) I.A.S.
स्टेट मिशन, डायरेक्टर,

आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह